अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितंबर 2024

मप्रविनिआ/संचा. (टैरिफ)/2024/क्रमांक 2180. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) तथा (झ) सहपठित धारा 181 के अधीन सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2024 (जी–48, वर्ष 2024)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रांरभ (Short Title, Extent and Commencement) :

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2024 (जी–48, वर्ष 2024)"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम उक्त तिथि से प्रभावशील होंगे जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में अधिसूचित किया जाए।

2. उद्देश्य (Objective) :

इन विनियमों का उद्देश्य राज्य ग्रिड को बचाव तथा सुरक्षा प्रदान करने तथा विद्युत प्रणाली के निर्बाध परिचालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यान्तरिक पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) में ग्रिड की आवृत्ति 50 HZके समीपस्थ संधारित करने तथा संकुलन (congestion)से राहत प्राप्त करने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) को सहायता प्रदान करने हेतु तथा राज्य विचलन (state deviation)को न्यूनतम करने के लिये सहायक सेवाओं की अधिप्राप्ति, नियोजन तथा भुगतान की क्रियाविधि प्रदान करना है।

3. परिभाषाए ंएवं व्याख्याएं (Definitions and Interpretations) :

3.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) **"अधिनियम(Act)"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;

(2) **"स्वचालित उत्पादन नियन्त्रण संकेत {Automatic Generation Control Signal (AGC Signal)}"** से अभिप्रेत है समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा सृजित स्वचालित संकेत जिसके माध्यम से किसी द्वितीयक संचिति सहायक सेवाओं के प्रदायक के विद्युत उत्पादन को समायोजित किया जाता है ;

(3) **"सहायक सेवाएं" ("Ancillary Services" or "AS")** किसी विद्युतप्रणाली प्रचालन के संबंध में अभिप्रेत है ग्रिड की ऊर्जा गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा सुरक्षा के संधारण में सहायता हेतु

आवश्यक सेवा तथा इनमें सम्मिलित हैं प्राथमिक संचिति सहायक सेवा (Primary Reserve Ancillary Service), द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (Secondary Reserve Ancillary Servce), तृतीयक संचिति सहायक सेवा (Tertiary Reserve Ancillary Service), अनुवर्ती भार हेतु सक्रिय ऊर्जा आधार (Active Power Support for load following), प्रतिक्रियाशील ऊर्जा आधार (Reactive Power Start), अंधकार निवारण (black start) तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाएं जैसा कि ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है ;

(4) **"क्षेत्र नियन्त्रण त्रुटि (Area Control Error-ACE)"** आवृत्ति अभिनति के प्रभावों (effects of frequency bias) तथा मापन की त्रुटियों में संशोधन (correction of measurement errors) की विवेचनानुसार क्षेत्र (area)के रूप में राज्य के शुद्ध वास्तविक विनिमय (net actual interchange) तथा शुद्ध अनुसूचित विनिमय (net scheduled interchange) के मध्य तात्कालिक अन्तर (instantaneous change) ;

(5) **"सहायक सेवा क्षमता आबन्ध {Ancillary Service (AS) Capacity Obligation}"** से अभिप्रेत है, द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के अधीन समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा प्रेषण हेतु अन्तरित की गई संकेतक क्षमता (signalled capacity) अथवा तृतीयक संचिति सहायक सेवा (TRAS) के अधीन समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा अधिप्राप्त की गई क्षमता ;

(6) **"स्वचालित उत्पादन नियन्त्रण (Automatic Generation Control or AGC)"**से अभिप्रेत है, कोई क्रियाविधि जिसके माध्यम से किसी नियन्त्रण क्षेत्र में द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) का विद्युत उत्पादन, द्वितीयक नियन्त्रण संकेत (Secondary Control Signal) की अनुक्रिया में स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है ;

(7) **"संतुलन तथा व्यवस्थापनसंहिता (Balancing and Settlement Code)"** से अभिप्रेत है यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 ;

(8) **"आयोग (Commission)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(9) **"क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation Charge)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र (जिसकी विद्युत–दर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) में प्रतिभागिता हेतु अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित की जाती है), को छोड़कर, द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) द्वारा घोषित मूल्य ;

(10) **"मांग अनुक्रिया (Demand Response)"** से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी या किसी निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता (Open Access Customer) द्वारा प्रणाली की आवश्यकतानुसार समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा चिन्हांकित विद्युत आहरण में परिवर्तन ;

(11) **"विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि विनियम (DSM Regulations)"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथासंशोधित अधिनियम "Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2021" ;

(12) **"ऊर्जा संग्रहण (Energy Storage)"** का विद्युत प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है कोई सुविधा जहां जहां विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के कतिपय अन्य किसी रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका संग्रहण किया जा सकता है तथा तत्पश्चात् जिसे विद्युत ऊर्जा के रूप में पुनः परिवर्तित किया जाता है ;

(13) **"समतल अन्तर्संयोजित नियन्त्रण (Flat Tie-line Control)"** से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर क्षेत्र नियन्त्रण त्रुटि (Area Control Error-ACE) के सुधार हेतु कोई क्रियाविधि जिसके अन्तर्गत शुद्ध अनुसूचित विनिमय (net scheduled interchange) से केवल शुद्ध वास्तविक विनिमय (net actual interchange) के विचलन को ही समाहित किया जाता है तथा आवृत्ति विचलन (frequency deviation) की उपेक्षा की जाती है ;

(14) **"एफ.एस.डी.एस.एम. विनियम (FSDSM' Regulations)"** से अभिप्रेत है यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 ;

(15) **"आवृत्ति अनुक्रिया अभिलक्षण (Frequency Response Characteristics)"** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादकों के उत्पादन द्वारा या भार के माध्यम से विद्युत खपत में स्वचालित व सतत परिवर्तन जो नियन्त्रण क्षेत्र के भार–उत्पादन सन्तुलन में परिवर्तन के पश्चात् तत्काल घटित होता है तथा ऐसी दशा में घटित होता है जो आवृत्ति में कतिपय परिवर्तन का विरोध करता है;

(16) **"प्रवेश द्वार का बन्द होना (Gate Closure)"** से अभिप्रेत निर्धारित समय–सीमा (time line) से है जैसा कि इसे भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) में परिभाषित किया गया है ;

(17) **"भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (Indian Electricity Grid Code or IEGC)"** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) सहपठित धारा 178 की उप–धारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिनियम ;

(18) **"मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MP Electricity Grid Code)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता ;

(19) **"समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency)"** से अभिप्रेत हैराज्य भार प्रेषण केन्द्र जो राज्यान्तरिक स्तर (Intra-State level) पर सहायक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(20) **"प्राथमिक संचिति सहायक सेवा (Primary Reserve Ancillary Service or 'PRAS')"** से अभिप्रेत है सहायक सेवा (Ancillary Service) जो विद्युत उत्पादक (generator) या अन्य किसी संसाधन के माध्यम से आवृत्ति में आकस्मिक परिवर्तन होने पर तत्काल गति–नियन्त्रक कार्रवाई (governor action) के माध्यम से सेवा में आ जाएगी ;

(21) **"द्वितीयक नियन्त्रण संकेत (Secondary Control Signal)"** से अभिप्रेत है समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से उत्पादित स्वचालित संकेत (automated signal) जिसके माध्यम से द्वितीयक संचिति सहायक सेवाओं के प्रदायक के अन्तःक्षेपण (injection)या आहरण (drawal) या खपत (consumption) को समायोजित किया जाता है तथा इसमें स्वचालित उत्पादन नियन्त्रण संकेत (AGC Signal) भी सम्मिलित है ;

(22) **"द्वितीयक संचिति सेवा (Secondary Reserve Ancillary Service or 'SRAS')"** से अभिप्रेत है सहायक सेवा जिसमें द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–ऊर्ध्वमुखी (SRAS-Up) तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) सम्मिलित है जिसे समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है तथा द्वितीयक नियन्त्रण संकेत (Secondary Control Signal) के माध्यम से नियोजित किया जाता है ;

(23) **"द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (Secondary Reserve Ancillary Service Provider or 'SRAS Provider')"** से अभिप्रेत है कोई इकाई जो इन विनियमों के अनुसार द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–ऊर्ध्वमुखी (SRAS-up) तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) प्रदान करती है ;

(24) **"द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधेमुखी (SRAS-Down)"** से अभिप्रेत है कोई द्वितीयक सहायक संचिति सेवा जो समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से प्राप्त द्वितीयक नियन्त्रण संकेत की अनुक्रिया के अनुसार यथास्थिति सक्रिय ऊर्जा अन्तःक्षेपण (active power injection) को कम करती है या फिर आहरण या खपत में वृद्धि करती है ;

(25) **"द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–ऊर्ध्वमुखी (SRAS-up)"** से अभिप्रेत है कोई द्वितीयक सहायक संचिति सेवा जो समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से प्राप्त द्वितीयक नियन्त्रण

संकेत की अनुक्रिया के अनुसार सक्रिय ऊर्जा अन्तःक्षेपण (active power injection) में वृद्धि करती है या फिर आहरण या खपत को कम करती है ;

(26) **"राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा (State DSM Pool Account)"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (FSDSM Regulations) के अधीन संधारित लेखे ;

(27) **"विद्युत–दर विनियम (Tariff Regulations)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (यघ) सहपठित धारा 61 के अधीन समय–समय पर निर्दिष्ट विनियम ;

(28) **"तृतीयक संचिति सहायक सेवा (Tertiary Reserve Ancillary Service or 'TRAS')"** से अभिप्रेत है सहायक सेवा जिसमें सम्मिलित है चक्रण संचिति (spinning reserve) या गैर–चक्रण संचिति (non-spinning reserve) जो समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से सम्प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करती है ;

(29) **"अन्तर्संयोजन अभिनति नियन्त्रण (Tie-line Bias Control)"** से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर क्षेत्र नियंन्त्रण त्रुटि (ACE) के सुधार हेतु कोई क्रियाविधि जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर शुद्ध अनुसूचित विनिमय (net schedule interchange) से शुद्ध वास्तविक विनियम (net actual interchange) के साथ–साथ आवृत्ति विचलन (frequency deviation) को भी समाहित किया जाता है ; और

(30) **"अन–अधिग्रहीत अधिशेष (Un-Requisitioned Surplus or 'URS')"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है तथा जो प्रेषण (despatch) हेतु उपलब्ध है तथा इसकी संगणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता (declared capacity)तथा इसकी समग्र अनुसूची (total schedule) के अन्तर के रूप में की जाती है।

3.2 इन विनियमोंमें प्रयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि आयोग के कथित विनियमों में इनके लिये नियत है।

3.3 अधिनियमों, नियमों, विनियमों के संदर्भ में इनके संशोधन या समेकन या पुनः अधिनियमन सम्मिलित होंगे।

4. विस्तार (Scope)

ये विनियम राज्यान्तरिक इकाइयों (intra-State entities) को प्रयोज्य होंगे जिनमें ऐसी इकाइयां जो ऊर्जा संग्रहण संसाधनों को धारित करती हैं तथा ऐसी इकाइयां जो मांग अनुक्रिया (demand response) प्रदान करने की योग्यता रखती हैं, सहायक सेवाएं प्रदान करने तथा जैसा कि वे अन्य इकाइयां जैसा कि इन विनियमों में प्रावधान किया गया है, की अर्हता धारित करती है।

5. सहायक सेवाओं के प्रकार (Types of Ancillary Services)

5.1 सहायक सेवाएं निम्नानुसार होंगी, जैसे कि :

(क) प्राथमिक संचिति सहायक सेवा (Primary Reserve Ancillary Service-PRAS) ;

(ख) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (Secondary Reserve Ancillary Service-SRAS) ;

(ग) तृतीयक संचिति सहायक सेवा (Tertiary Reserve Ancillary Service-TRAS) ; and

(घ) अन्य कोई सहायक सेवाएं जैसा कि मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में निर्दिष्ट किया जाए।

5.2 इस विनियम के खण्ड 5.1 के उपखण्ड (ख) में उल्लेखित द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की अधिप्राप्ति, नियोजन तथा भुगतान की क्रियाविधि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

6. समन्वयन अभिकरण द्वारा संचितियों का प्राक्कलन (Estimation of Reserves by the Nodal Agency)

6.1 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) राज्य स्तर पर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS)की आवश्यकता की मात्रा का आकलन ऐसी अवधि हेतु तथा ऐसी क्रियाविधि पर आधारित करेगा जैसा कि इसे द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की आवश्यकता के आकलन हेतु विस्तृत प्रक्रिया में निर्दिष्ट किया जाए तथा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

6.2 समन्वयन अभिकरण द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) की आवश्यकता की मात्रा का आकलन दिवस पूर्व (day ahead basis) तथा धनात्मक आवश्यकता (incremental requirement) के आधार पर, यदि कोई हो, करेगा तथा इसे अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करेगा।

6.3 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) की आवश्यकता का आकलन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

भाग—एक

द्वितीयक संचिति सहायक सेवा

(Secondary Reserve Ancillary Service-SRAS)

7. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदाय हेतु अर्हता (Eligibility for an SRAS Provider)

राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली से संयोजित कोई भी विद्युत उत्पादन केन्द्र या कोई इकाई जो ऊर्जा संग्रहण संसाधन धारित करती हो या फिर कोई इकाई जो स्वचलन (Standalone) या समेकित (aggregated) आधार पर मांग अनुक्रिया (demand response) प्रदान करने की सुयोग्यता रखती हो, द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक के रूप में द्वितीयक संचिति सेवा प्रदान की योग्यता रखेगी यदि वह :

(क) समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा प्रतिपादित विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)के साथ द्वि–दिशात्मक संचार प्रणाली (bi-directonal Communication System) धारित करती हो ;

(ख) विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में स्वचालित उत्पादन नियन्त्रण सामर्थ्य (AGC enabled) धारित करती हो ;

(ग) एक मेगावाट (MW) की न्यूनतम अनुक्रिया (minimum response) प्रदान करने हेतु सक्षम हो ;

(घ) समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा प्रतिपादित विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप, द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के अधीन प्रदत्त ऊर्जा के अनुश्रवण तथा मापन हेतु संस्थापित मापन (मीटरिंग) तथा स्काडा (SCADA) दूरमापन व्यवस्था (telemetry) धारित करती हो ;

(ङ) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा संकेत (SRAS Signal) को 30 सेकण्ड के भीतर अनुक्रिया प्रदान करने, पन्द्रह (15) मिनट के भीतर समग्र द्वितीयक संचिति सहायक सेवा क्षमता आबन्ध (SRAS Capacity Obligation) प्रदान करने तथा आगामी तीस (30) मिनट हेतु न्यूनतम इसे धारित रखने (sustaining) की योग्यता रखती हो।

8. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की सक्रियता तथा नियोजन प्रदान करना (Activation and Deployment of SRAS)

8.1 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा निम्न घटनाओं के फलस्वरूप द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) को उत्प्रेरित तथा नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य के विचलन को न्यूनतम किये जाने के साथ–साथ राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली को संकुलन से मुक्त किया जा सके या फिर प्राथमिक संचितियों की प्रतिपूर्ति (replenish) की जा सके :

(क) राज्य को नियन्त्रण क्षेत्र (control area)मानते हुए, राज्य की क्षेत्र नियन्त्रण त्रुटि (Area Control Error-ACE), यदि ±10 MWकी प्रारंभिक सीमा (Threshold limit) के परे जाने पर या फिर जैसा कि द्वितीयक संचिति सहायक सेवा के निष्पादन की समीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए : और

(ख) ऐसी अन्य घटनाएं जैसा कि वे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में निर्दिष्ट की जाएं।

8.2 राज्य हेतु दूरमाप मूल्यों (telemetered values) तथा इस विनियम के खण्ड (8.3) तथा (8.4) में निर्दिष्ट बाह्य निवेशों (external Outputs) के आधार पर, समन्वयन अभिकरण के नियन्त्रण केन्द्र पर क्षेत्र नियन्त्रण त्रुटि (Area Control Error-ACE) की स्वगणना (auto-calculated) निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

ACE = $(I_a\text{-}I_s) - 10 * B_f * (F_a\text{-}F_s)$ *+ क्षतिपूर्ति (Offset)*

जहां,

I_a वास्तविक शुद्ध विनिमय (Actual Net Interchange) MW में (निर्यात हेतु धनात्मक मूल्य)

I_s अनुसूचित शुद्ध विनिमय (Scheduled net interchange) MW में (निर्यात हेतु धनात्मक मूल्य)

B_f आवृत्ति अभिनति गुणांक (Frequency Bias Coefficient)मेगावाट MW / 0.1 Hz में (ऋणात्मक मूल्य)

F_a वास्तविक प्रणाली आवृत्ति, Hz में

F_s अनुसूचित प्रणाली आवृत्ति Hz में

क्षतिपूर्ति (Offset) =मापन की त्रुटि हेतु क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान

8.3 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा आवृत्ति अभिनति गुणांक का आकलन तथा घोषणा विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

8.4 मापन त्रुटियों के लेखांकन हेतु क्षतिपूर्ति का उपयोग किया जाएगा तथा राज्य हेतु इसका निर्णय समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा लिया जाएगा।

8.5 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) का संचालन दो नियन्त्रण पद्धतियों (control modes) अर्थात् अन्तर्संयोजित अभिनति नियन्त्रण पद्धति (tie-line bias control mode) या समतल अन्तर्संयोजन नियन्त्रण पद्धति (flat tie-line control) द्वारा, ग्रिड की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकेगा।

9 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की अधिप्राप्ति (Procurement of SRAS)

9.1 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) की अधिप्राप्ति इस विनियम में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के माध्यम से की जाएगी।

9.2 कोई द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) जो द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) हेतु प्रतिभागी बनने का इच्छुक हो, को समन्वयन अभिकरण को न्यूनतम 7 (सात) दिवस की अवधि हेतु स्थाई सहमति (standing consent) प्रदान करनी होगी जो इसके संशोधित/सुधार होने या इसे वापस लिये जाने (withdrawn) तक वैध रहेगी :

परन्तु यह कि स्थाई सहमति, अनिवार्य अवरोध (forced outage) संबंधी प्रकरण को छोड़कर, को न्यूनतम अड़तालीस (48) घंटे की पूर्व सूचना दिये बगैर न तो संशोधित (modified) किया जा सकेगा और न ही वापस लिया जा सकेगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि द्वितीयक संचिति सहायक सेवा हेतु चिन्हित (earmarked) क्षमता की मांग न की गई हो तथा तत्समय लाभार्थी/हितग्राही द्वारा विद्युत की आवश्यकता चाही गई हो तो इसे समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा लाभार्थी/हितग्राही के लाभार्थ इसके द्वारा प्रस्तुत लिखित मांग के आधार पर अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार जारी किया जा सकेगा।

9.3 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Providers) जो विद्युत उत्पादन केन्द्र हों, को ऐसे समय अन्तराल को घोषित करना होगा जैसा कि इसे विस्तृत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिपादित किया जाए तकनीकी मापदण्ड जैसा कि वे समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा चाहे गये हों जिनमें स्थापित क्षमता, उच्चतम संभावित विद्युत उत्पादन (Pmax), अनुसूची (schedule), तकनीकी न्यूनतम, बढ़त तथा घटत सुयोग्यता (Ramp up and Ramp down Capacity) को भी सम्मिलित किया जाएगा, जो मात्र इन तक ही सीमित न होंगे।

9.4 विद्युत उत्पादन केन्द्रों से हटकर अन्य द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) को अपनी तकनीकी आवश्यकताएं घोषित करनी होंगी जैसा कि इन्हें विस्तृत प्रक्रिया में प्रतिपादित किया जाए।

9.5 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक जो विद्युत उत्पादन केन्द्र हों जिनकी विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया जाता है, को अपना ऊर्जा प्रभार अग्रिम (energy charge upfront) मासिक आधार पर ऐसी रीति के अनुसार घोषित करना होगा जैसा कि इसे विस्तृत प्रक्रिया में प्रतिपादित किया जाए।

9.6 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक, उन्हें छोड़कर जिन्हें इस विनियम के खण्ड (9.5) के अधीन सम्मिलित किया गया है, को मासिक आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति प्रभार अग्रिम

(Compensation Charge upfront) की एकल दर को घोषित करना होगा जो मात्र विस्तृत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिपादित रीति के अनुसार पावर एक्सचेंज के पूर्व माह के दिवस पूर्व बाजार (Day Ahead Market-DAM) के औसत बाजार समाशोधन मूल्य (average market clearing price) तक ही सीमित होगा।

9.7 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार द्वितीयक संचिति सहायक सेवा आवश्यकता के प्राक्कलन के आधार पर, दिवस–पूर्वआधार (day ahead basis)पर तथा वास्तविक समय आधार (real-time basis) पर इसकी समीक्षा करते हुए, द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों द्वारा की गई घोषणाओं पर विचार करते हुए पर्याप्त द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की क्षमता को सुनिश्चित करेगा।

9.8 ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में जिनकी विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया जाता है वहां समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) प्रदान करने हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्रों को निम्न रीति के अनुसार चिन्हांकित किया जाएगा, अर्थात् :

(क) दिवस–पूर्व आधार पर (day-ahead basis), उपलब्ध अन–अधिग्रहीत क्षमता (un-requisitioned capacity) के आधार पर, जब अनुसूची को आगामी दिवस हेतु रात्रि 23.00 बजे सम्प्रेषित कर दिया गया हो ; और

(ख) वास्तविक–समय आधार पर (On a real time basis) प्रवेश–द्वार बन्द होने के पश्चात् धनात्मक द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (incremental SARS) आवश्यकताओं हेतु :

परन्तु यह कि द्वितीयक संचिति सहायक सेवा हेतु, इस प्रकार चिन्हांकित की गई क्षमता पर विचार ऐसी क्षमता की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

9.9 इस विनियम के खण्ड (9.7) के अधीन सुनिश्चित की गई क्षमता हेतु या खण्ड (9.8) के अधीन चिन्हांकित की गई क्षमता हेतु, परन्तु जिसे द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) हेतु संकेतबद्ध (signalled) न किया गया हो, के बारे में द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) हेतु किसी प्रकार के वचनबद्धता प्रभार (Commitment Charge) को लागू नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि आयोग उपलब्धता की समीक्षा के आधार पर तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के निष्पादन के आधार पर भी भविष्य में पृथक आदेश के माध्यम से द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) को अग्रिम रूप से द्वितीयक

संचिति सहायक सेवा (SRAS) क्षमता की वचनबद्धता हेतु तथा ऐसी वचनबद्ध द्वितीयक संचिति सहायक सेवा क्षमता (Committed SRAS Capacity) हेतु क्रियाविधि प्रदान कर सकेगा।

10. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों का चयन तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा का प्रेषण (Selection of SRAS Providers and Despatch of SRAS)

10.1 उपलब्ध द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) के परिवर्तनीय प्रभारों (variable charges) अथवा प्रयोज्य क्षतिपूर्ति प्रभारों (Compensation Charges) के सुयोग्यता क्रमानुसार (merit order) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा आवश्यकता (SRAS requirement) की पूर्ति हेतु राज्य के द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) के मध्य द्वितीयक संचिति सहायक सेवा संकेत (SRAS Signal) आवंटित किया जाएगा।

10.2 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीयक नियंत्रण संकेतों (secondary control signals) के माध्यम से द्वितीयक संचिति सहायक सेवा का प्रेषण किया जाएगा।

10.3 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS -Up) तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) हेतु द्वितीयक नियंत्रण संकेत (Secondary Control Signal) को द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के नियन्त्रण केन्द्र (Control Centre) को प्रति 4 सेकण्ड के अन्तराल अनुसार (या फिर अन्य कोई अन्तराल, जैसा कि इस बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए) प्रेषित किया जाएगा। द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-UP)तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) हेतु स्वयमेव यन्त्रवत (automatically) द्वितीयक नियन्त्रण संकेत का अनुसरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

10.4 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से प्राप्त स्वचालित संकेत (automatic signal) के अनुसार द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) यथास्थिति, सक्रिय विद्युत अन्तःक्षेपण (active power injection) में वृद्धि या कमी कर सकेगा या फिर आहरण या खपत (drawal or consumption) में वृद्धि या कमी कर सकेगा।

10.5 विस्तृत प्रक्रिया में प्रतिपादित किये गये अनुसार द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ समयोचित आंकड़ों (real-time data) को साझा करेगा।

10.6 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-UP) तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down)MW आंकड़ों के

औसत की गणना प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड (time block) हेतु MWh में प्रत्येक द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) हेतु समन्वयन अभिकरण पर अभिलेखित स्काडा (SCADA) आंकड़ों के प्रयोग द्वारा की जाएगी तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के नियन्त्रण केन्द पर प्राप्त आंकड़ों का मिलान किया जाएगा तथा इसका उपयोग द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) को यथास्थिति ऊर्जा प्रभार (energy charge) या क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation Charge) के भुगतान हेतु इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार किया जाएगा।

11. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा हेतु भुगतान (Payment for SRAS)

11.1 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) का भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (State DSM Pool Account)के माध्यम से, यथास्थिति ऊर्जा प्रभार (Energy charge) या क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation Charge) हेतु (जिसकी गणना इन विनियमों के विनियम 10 के खण्ड 10.6 के अनुसार की जाएगी) जैसा कि इसे द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) द्वारा घोषित किया जाए द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-UP) प्रेषित MW मात्रा हेतु 15–मिनट के समय–खण्ड (time-block) हेतु की जाएगी :

परन्तु यह कि ऊर्जा प्रभार (Energy charge) या क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation Charge) जैसा कि इन्हें द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) द्वारा घोषित किया जाए तथा जैसा कि वे द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) प्रदाय के समय प्रयोज्य हों, का उपयोग प्रदायकों द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) की गणना हेतु किया जाएगा तथा ऊर्जा प्रभारों या क्षतिपूर्ति प्रभारों का भूतलक्षी प्रभाव से निपटान (Rotrospective Settlement) मान्य न होगा भले ही कथित प्रभारों को बाद में किसी भी तिथि को पुनरीक्षित किया जाए।

11.2 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (State DSM Pool Account)को प्रत्येक 15–मिनट समय–खण्ड के लिये द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) प्रेषित MW मात्रा हेतु (जिसकी गणना इन विनियमों के विनियम 10 के खण्ड 10.6 के अनुसार की जाएगी) करेगा।

11.3 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के कार्यान्वयन के प्रारंभिक प्रक्रम के दौरान द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, आयोग राज्य में द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) को

प्रारंभ करने के पश्चात् उसके अन्तर्गत वित्तीय प्रभाव के विश्लेषण पर प्रोत्साहन को किसी प्रक्रम पर एक पृथक आदेश के द्वारा प्रवर्तित करेगा।

11.4 इस विनियम के खण्ड क्रमांक (11.1) से (11.3)के अन्तर्गत संगणना की क्रियाविधि (Methodology of Computation) को विस्तृत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिपादित किया जाएगा।

12. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक के निष्पादन का आकलन (Performance of SRAS Provider) :

12.1 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के नियन्त्रण केन्द्र को समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से प्राप्त होने वाले द्वितीयक नियंत्रण संकेतों (secondary control signal) के संबंध में सेवा प्रदायक की वास्तविक अनुक्रिया (actual response) का अनुश्रवण समन्वयन अभिकरण द्वारा विस्तृत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

12.2 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) से उद्भूत द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के नियन्त्रण केन्द्र पर प्राप्त होने वाले द्वितीयक नियंत्रण संकेतों (Secondary control signals) के समस्त मापों तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) की वास्तविक अनुक्रिया का कार्यान्वयन घटनोत्तर आधार पर (post facto basis) स्काडा (SCADA) आकड़ों के उपयोग द्वारा किया जाएगा। द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के निष्पादन का मापन समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक के नियन्त्रण केन्द्र पर 5–मिनट के औसत आंकड़ों के प्रयोग द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-Up) तथा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) को प्रेषित प्रति चार सेकण्ड के अन्तराल के अनुसार (या फिर अन्य कोई अन्तराल जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए) के विरूद्ध प्राप्त वास्तविक अनुक्रिया के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किया जाएगा।

12.3 इस विनियम के आधार पर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के निष्पादन के मापन की क्रियाविधि को विस्तृत प्रक्रिया में समाहित किया जाएगा।

13. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक के निष्पादन का विफल होना (Failure in Performance of SRAS Provider)

13.1 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) द्वारा दो क्रमिक दिवसों के दौरान 20% से कम निष्पादन दर्शाये जाने पर उक्त सेवा प्रदायक को समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा एक सप्ताह की अवधि के लिये द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS)के अन्तर्गत सहभागिता हेतु अयोग्य ठहराया जा सकेगा।

13.2 इन विनियमों के अधीन समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) हेतु दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) पर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड (penalties) अधिरोपित किये जा सकेंगे।

भाग–दो

द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की अधिप्राप्ति में कमी का होना अथवा आकस्मिक परिस्थितियां (Shortfall in Procurement of SRAS or Emergency Conditions)

14. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की अधिप्राप्ति में कमी का होना अथवा आकस्मिक परिस्थितियां (Shortfall in Procurement of SRAS or Emergencies Conditions)

14.1 समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्र, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो 'अन–अधिग्रहीत अधिशेष शक्ति (URS Power)' धारित करते हों, तथा जिनकी विद्युत–दर का अवधारण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया जाता है, को ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों की तकनीकी सीमाबद्धताओं (technical constraints) के अध्यधीन रहते हुए समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) हेतु उपलब्ध होना समझा जाएगा।

14.2 इस विनियम के खण्ड (14.1) में उल्लेखित विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनके 'अन–अधिग्रहीत अधिशेष (URS)' को द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-Up) के बतौर प्रेषित किया जाता है, द्वारा अपने ऊर्जा प्रभार का भुगतान विनियम 11 के खण्ड (11.1) के अनुसार किया जाएगा।

14.3 इस विनियम के खण्ड (14.1) में उल्लेखित विद्युत उत्पादन केन्द्र, यदि उनका प्रेषण द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) के रूप में किया जाता है तो उनके द्वारा अदायगी (payback) विनियम 11 के खण्ड (11.2) के अनुसार विचलन एवं सहायक सेवा कोष लेखा (Deviation and Ancillary Service Pool Account) में की जाएगी।

14.4 यदिसमन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) को किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र से ग्रिड संहिता के उपबन्धों के अनुसार ग्रिड सुरक्षा (grid security) के कारणों से आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिये आवश्यकता हो तो ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रको आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऊर्जा प्रभार (energy charge) की दर पर क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।

भाग–तीन

द्वितीयक संचिति सहायक सेवा की का लेखांकन तथा व्यवस्थापन

(Accounting and Settlement of SRAS)

15. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा का लेखांकन तथा व्यवस्थापन (Accounting and Settlement of SRAS)

15.1 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा साप्ताहिक आधार पर अन्तरापृष्ठ मापयन्त्र आंकड़ों (interface meter data) के आधार पर द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) का लेखांकन किया जाएगा।

15.2 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS Provider) के विचलन (deviation) की गणना प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड (time block) में निम्नानुसार की जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि विनियमों (DSM Regulations) के अनुसार किया जाएगा :

सहायक सेवा प्रदायक (AS Provider) हेतु MWh विचलन = (सहायक सेवा प्रदायक का वास्तविक MWh)–(सहायक सेवा प्रदायक का अनुसूचित MWh)–{सहायक सेवा प्रदायक का द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS) MWh}

15.3 राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (State DSM Pool Account) को निम्न हेतु प्रभारित किया जाएगा :

(क) संबंधित द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक (SRAS provider) को देय, राज्यान्तरिक आधार पर, प्रत्येक समय–खण्ड हेतु प्रेषित द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–उर्ध्वमुखी (SRAS-UP) का यथास्थिति ऊर्जा प्रभार या क्षतिपूर्ति प्रभार,

(ख) इन विनियमों के विनियम 9 के खण्ड (9.9) के परन्तुक में उल्लेखित क्षतिपूर्ति।

15.4 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा–अधोमुखी (SRAS-Down) प्रेषण हेतु भुगतान को राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (State DSM Pool Account) को आकलित किया जाएगा।

15.5 इस विनियम के खण्ड क्रमांक (15.3) तथा (15.4) के अधीन प्रभारों (charges) तथा आकलनों (credit) के शुद्ध (net) का निपटान सन्तुलन एवं व्यवस्थापन संहिता (B&SC) के अधीन संग्रहित प्रभारों के माध्यम से किया जाएगा।

15.6 द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS providers) के बारे में भुगतान देयताओं का व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूप से समन्वयन अधिकरण (Nodal Agency) द्वारा मासिक आधार पर उन्हें आभासी इकाई (Virtual entity) के रूप में मानकर किया जाएगा।

15.7 यथास्थिति ऊर्जा प्रभार (Energy charge) तथा क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation charge) का भूतलक्षी व्यवस्थापन (retrospective settlement) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.8 समन्वयन अधिकरण (Nodal Agency) द्वारा अपनी वेबसाइट पर अधिप्राप्त तथा अनुसूचित द्वितीयक संचिति सहायक सेवा के बारे में साप्ताहिक आधार पर जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा आयोग को त्रैमासिक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाएंगे।

16. द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायक हेतु पारेषण प्रभार तथा हानियों (Transmission Charges and Losses for SRAS Provider)

द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) पारेषण प्रभारों तथा हानियों के बारे में कोई भी पारेषण प्रभार या पारेषण हानियां या पारेषण विचलन प्रभार देय न होंगे।

भाग–चार

विविध (Miscellaneous)

17. विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure)

17.1 समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर एक आवेदन के माध्यम से, मय आवेदन की संक्षेपिका (gist) के आयोग के समक्ष विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी। आवेदन को स्वीकार (admit) करने पर आयोग समन्वयन अभिकरण को आवेदन की संक्षेपिका (gist) आयोग द्वारा संक्षेपिका की अनुमोदन तिथि से 7 (सात) कार्यकारी दिवस के भीतर प्रकाशित करने हेतु निर्देश देगा जिसके अनुसार इसे चार व्यापक स्तर पर प्रसारित होने वाले चार समाचार पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) तथा समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु तथा विस्तृत प्रक्रिया पर सुझाव तथा आपत्तियां समस्त हितधारकों (Stakeholders) के साथ–साथ व्यापक रूप से आम जनता से आमन्त्रित करने हेतु आग्रह किया जाएगा। वेबसाइट के अन्तर्गत संक्षेपिका के साथ संबंधित आवेदन को भी 'प्रकाशित' (Upload) किया जाएगा जिसके अनुसार आम जनता को 'pdf' में तथा 'सम्पादनयोग्य शब्द प्ररूप (editable word format) में ऐसे अभिलेख 'डाऊनलोड' करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे समस्त सुझाव तथा आपत्तियां निर्धारित समय सीमा के भीतर समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) को प्रस्तुत किये जाएंगे। हितधारकों से सुझाव तथा आपत्तियां प्राप्त होने पर समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) द्वारा विस्तृत प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा इसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

17.2 विस्तृत प्रक्रिया के अन्तर्गत द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के परिचालन पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(क) द्वि–दिशात्मक संचार प्रणाली (bi-directional coomunication system) जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 7 के खण्ड (7.1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) प्रेषित ऊर्जा के अनुश्रवण तथा मापन हेतु द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के अन्तर्गत, मापन व्यवस्था (मीटरिंग) तथा स्काडा दूरमापी व्यवस्था (SCADA telemetry) जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 7 के खण्ड (7.1) तथा उप–खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ग) इन विनियमों के विनियम 8 के खण्ड (8.2) के बारे में क्षेत्र नियन्त्रण त्रुटि (ACE) की स्वचालित गणना हेतु अन्तराल तथा क्षतिपूर्ति (offset) गणनाकी विधि तथा मापयन्त्र उपसरण संबंधी विषय (meter drift issues);

(घ) प्रचालन की विभिन्न नियन्त्रण प्रणालियों के विवरण जैसा कि इनका उल्लेख इन विनियमों के विनियम 8 के खण्ड (8.5) में किया गया है ;

(ङ) तकनीकी मापदण्डों की घोषणा से संबंधित विवरण जैसा कि इन्हें इन विनियमों के विनियम 9 के खण्ड (9.3) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(च) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा के प्रदायकों (SRAS Providers) हेतु तकनीकी आवश्यकताएं जैसा कि इन विनियमों के विनियम 9 के खण्ड (9.4) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(छ) क्रमशः ऊर्जा प्रभार (energy charge) तथा क्षतिपूर्ति प्रभार (Compensation Charge) की घोषणा की रीति जैसा कि इसे विनियमों के विनियम 9 के खण्ड (9.5) तथा (9.6) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ज) समयोचित आंकड़ों (real time data) को साझा करने की क्रियाविधि जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 10 के खण्ड (10.5) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(झ) संकुलन (congestion) से छुटकारा पाने हेतु द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) के प्रेषण की क्रियाविधि ;

(ञ) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा (SRAS) की संगणना की क्रियाविधि जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम (11.4) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ट) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) की वास्तविक अनुक्रिया के अनुश्रवण के बारे में विवरण जैसा कि इन्हें इन विनियमों के विनियम 12 के खण्ड (12.1) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ठ) द्वितीयक संचिति सहायक सेवा प्रदायकों (SRAS Providers) के निष्पादन के मापन हेतु क्रियाविधि के विवरण जैसा कि इन्हें इन विनियमों के विनियम 12 के खण्ड (12.2) में निर्दिष्ट किया गया है ;

(ड) अन्य संबंधित तथा आनुषंगिक मामले (incidental matters)

18. **शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power of Relax) :**

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर सभी प्रभावित पक्षों को सुनने की अवसर प्रदान करने के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा शिथिल कर सकेगा।

19. **कठिनाई दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulty) :**

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनिमयों के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

टीप : इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2024'' के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव